

सूचना

समस्त इच्छुक गणमान्य ब्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 2x660 मे0वा0 ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु सेक्टर 5 एवं 7 के आवासों को प्रदेश हित में तोड़वाया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक ब्यक्ति/एजेन्सी विभिन्न प्रकार के आवासों को उपलब्ध अनुबन्ध की दरों में 15% अतिरिक्त सुपरविजन चार्ज जमा कराकर अनुबन्ध में निहित शर्तों पर आवास तोड़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता ओ0सी0सी0एम0डी-।। से प्राप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से

ओबरा तापीय परियोजना प्रबन्धन